

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)


श्रीमती चान्दी देवी बनाम श्रीमती मांगी देवी

धारा 111-128 एल0आर0ए

Online No. 2022/523
मुकदमा 367/2022

04.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 367/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती चान्दी देवी पत्नी कन्हैया लाल कुमावत निवासी नया कुम्हारिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज0

-प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नी श्री देबी लाल गाडरी,
2. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री गोपी लाल गाडरी
निवासीयान गाडरीखेड़ा, गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज0
3. सोहन तेली पुत्र श्री कजोड़ तेली निवासी बस स्टेण्ड, गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा-राज0

-विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित-1- राजू लाल कुमावत- प्रार्थीया अधिवक्ता

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कैलाशपुरी, पटवार हल्का गुरलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2510 रकबा 0.4229 हैक्टेयर, आराजी सं. 2511 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2514 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि का तथा आराजी संख्या 2512 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2513 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2515 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2526 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2517 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2518 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2519 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2535 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2536 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2541 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2542 रकबा 0.2023 आराजी संख्या 2543 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9599 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम कैलाशपुरी, पटवार हल्का गुरलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2510 रकबा 0.4229 हैक्टेयर, आराजी सं. 2511 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2514 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि तथा आराजी संख्या 2512 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2513 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2515 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2526 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2517 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2518 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2519 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2535 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2536 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2541 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2542 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2543 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9599 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है।

2536 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2541 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2542 रकबा 0.2023 आराजी संख्या 2543 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9599 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कैलाशपुरी, पटवार हल्का गुरलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2510 रकबा 0.4229 हैक्टेयर, आराजी सं. 2511 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2514 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि का

तथा आराजी संख्या 2512 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2513 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2515 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2526 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2517 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2518 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2519 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2535 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2536 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2541 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2542 रकबा 0.2023 आराजी संख्या 2543 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9599 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

राजकीय पत्थरगढी शुल्क 600/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक गुरलां 550/-रुपये (पांच सौ पचास रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 गुरलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।



(ओम प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा